पक्षकार –राज्य विरूद्ध लेखू उर्फ लेखराम प्रकरण क्रमांक 219/19

Witness No. 8 For अभियोजन साक्ष्य Deposition taken

the 15 मार्च 2021 day of .सोमवार witness's apparent age 30 वर्ष

States on affirmation शपथपूर्वक my name is छत्रपाल Son of .भोकलु यादव occupation राजमिस्त्री address ...माना बस्ती, थाना माना कैंम्प, जिला रायपुर (छ0ग0)

समय –04:30 बजे से

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री विजय लांजे ए0जी0पी0 वास्ते अभियोजन

1– मै हाजिर अदालत आरोपी को पहचानता हूं। मै पीडित ललित को भी पहचानता हूं। लगभग एक वर्ष पूर्व की घटना है। मै शाम को काम करने के बाद अपने घर आया था तब बस्ती के लोगो से पता चला कि ललित का एक्सीडेन्ट हो गया है। इसके अलावा और घटना हुई थी मै नही जानता हूं। आरोपी ने ललित के साथ क्या घटना कारित की है, इसकी मुझे जानकारी नही है।

नोट– इसी स्तर पर अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा साक्षी से प्रतिपरीक्षण स्वरूप सूचक प्रश्न पूछे जाने की अनुमति चाही गयी। अभिलेख अवलोकन पश्चात विचारोंपरात अनुमति प्रदान की गयी।

2– मै पूनम को जानता हूं। यह कहना गलत है कि दिनांक 02/09/19 को रात 9:00 बजे ललित अपनी कार जिसे वह चलाता है को लेकर गांव की ओर आ रहा था और पडाव पारा में आकर रूका था। यह कहना गलत है कि ललित ने मुझे बताया था कि गांव के लेखू उर्फ लेखराम अपनी मोटर सायकिल लेकर रोड में खडा था जिसे रोड से मोटर सायकिल हटाने के लिए बोलने पर लेखू ने मॉ–बहन की गाली व वाद विवाद किया था। यह कहना गलत है कि

ललित ने मुझे यह भी बताया था कि उसके द्वारा मना करने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। यह कहना गलत है कि उसी समय आरोपी अपनी मोटर सायकिल से आया और एक लोहे की पाईप जैसी वस्तु से आज तुझे जान से मार दूंगा कहकर सिर, पैर एवं अन्य जगह ताबड़ तोड हमला कर चोट पहुचाया। यह कहना गलत है कि चोट आने से ललित गिर गया था तब मैने और पूनमचन्द्र ने बीच बचाव किया था। यह कहना गलत है कि ललित के गिर जाने से आरोपी वहा से चला गया था। यह कहना गलत है कि हमलोगो ने 112 में कॉल कर ललित को अस्पताल लेकर गए थे। यह कहना गलत है कि मेरे समक्ष आरोपी ने ललित की हत्या करने की नियत से लोहे की पाईप से मारपीट कर जान से मारने की कोशिश की थी।

3— यह कहना है कि मैने पुलिस को प्र0पी0—16 का अ से अ भाग ''दिनांक 02/09/19————कोशिश किया है'' का बयान दिया था। यह कहना गलत है कि मै अभियुक्त से मिल गया हूं और उसे बचाने के लिए आज सही बात नही बता रहा हूं।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्रीमती अपर्णा दीवान अधिवक्ता वास्ते आरोपी</u>

4— कुछ नही।

समय 04:45 बजे तक

वाचित स्वीकृत

(सुमित कपूर)
एकादश अति. सत्र न्यायाधीश
रायपुर छ.ग.

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(सुमित कपूर)
एकादश अति. सत्र न्यायाधीश
रायपुर छ.ग.

गवाह के हस्ताक्षर—